न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

प्रार्थना पत्र संख्याः—304 / 2024 / 223 आर.टी.एक्ट (2024 / 304)

1. जगदीश पुत्र कालू जाति खटीक निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर **(प्रार्थना पत्र क्रॉस आब्जेक्शन प्रस्तुतकर्ता)**

प्रार्थी

बनाम

1. मनोहर पुत्र बख्ताराम, जाति रेगर, निवासी प्रताप नगर नई बस्ती अजमेर।
2. लक्षमण पुत्र कालू
3. सरोज पुत्री कालू
4. जीतमल पुत्र कालू जाति खटीक निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर। **(अपीलांट अपील विड्रोकर्ता)**
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय जिला अजमेर।
6. उप—पंजीयक, अरडका जिला अजमेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 सीपीसी (क्रॉस आब्जेक्शन) विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर, द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2020 राजस्व वाद संख्या 56 / 2018.

उपस्थितः—

1. श्री सुण्डाराम जाट अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 5,6
4. अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—18.08.2025

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 सीपीसी (क्रॉस आब्जेक्शन) अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 56 / 2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2020 के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी / रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर मु0 अजमेर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत धारा 53, 188 बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट संख्या 03 से 05 को पक्षकार बनाकर उनके विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 को पारित किए जाने के विरूद्ध द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट जीतमल द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी, परंतु अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 07.04.2025 को अपील को विड्रो किए जाने से रेस्पोडेंट संख्या 3 जो तत्समय प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट थे उनकी ओर से दिनांक 02.04.

2025 को अपील विड्रो होने से पूर्व क्रॉस आब्जेक्शन प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 जा0दी0 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपील विड्रो की अनुमति देने के कारण अपीलांट जीतमल को उक्त प्रार्थना पत्र में बतौर रेस्पोडेंट संख्या 04 मुर्तिब किया जा रहा है। हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 04 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये किन्तु बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रार्थी जगदीश (रेस्पोडेंट संख्या 03) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में जीतमल द्वारा प्रस्तुत अपील में अनुतोष प्रदान किए जाने बाबत जरिए क्रॉस आब्जेक्शन उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 56/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2020 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 सीपीसी (क्रॉस आब्जेक्शन) न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा पूर्व में ही अपील विड्रो की जा चुकी है तथा नोटिस तामिल होने के उपरांत भी प्रार्थना पत्र क्रॉस आब्जेक्शन मे अनुपस्थित रहें।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र क्रॉस ऑब्जेक्शन अंतर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 में कथन किया कि वादी/रेस्पो. संख्या 1 ने एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् धारा 53, 188 बाबत् बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी अपीलांट एवं अन्य रेस्पो. संख्या 2 लगायत 4, 5, व 6 को पक्षकार बनाकर उनके विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चाचियावास तहसील व जिला–अजमेर में स्थित है, हाल खसरा नम्बर 1720 रकबा 0.49 है., 1720/2208 रकबा 0.65 है. स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी आराजी है तथा बहामी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है जिसमें वादी का 13/20 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 16/60 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/60 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 3/60 एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/60 हिस्सा निहित है। परन्तु बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हो रखा है जिसे आये दिन फसल कटाई बुवाई को लेकर झगड़ा फसाद होता रहता है जिसे संयुक्त काश्त करना सम्भव नहीं है। इसलिए विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत कर वाद अनुसार डिक्री चाही। उक्त वाद दिनांक 12.10.2018 को दर्ज किया गया। आगामी पेशी पत्रावली तलवाना, नोटिस में नियत होती रही। जिसमें क्रमशः दिनांक 14.11.2018, 05.02.2019, 28.02.2019, 07.03.2019, 18.03.2019, 08.04.2019, 13.06.2019 तत्पश्चात् दिनांक 19.06.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामिल शामिल मिसल कर एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई तथा अन्य प्रतिवादी की तलबी हेतु नियत कर दी। तत्पश्चात् दिनांक 11.07.2019, 16.07.2019, 30.07.2019, 13.08. 2019 तत्पश्चात् 12.09.2019 को पुनः प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को बार–बार आवाज लगायी गयी फिर एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई तथा दिनांक 10/10/2019 को एकपक्षीय बहस सुनकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 05.11.2019, 13.11.2019, 29. 11.2019, 20.12.2019, 08.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020, दिनांक 04.02.2020 को एकपक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित करते हुए तहसीलदार अजमेर को बाई मीटस एण्ड बाउण्डस का आंकलन करते हुए भूमि का विभाजन हिस्से अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये जाने के आदेश पारित किये लेकिन दिनांक 04.02.2020 को पत्रावली को फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दी। फिर पत्रावली को दिनांक 24.06.2020 को अचानक नियत कर यह अंकित किया कि तहसीलदार अजमेर द्वारा दिनांक 16.06.2020 के द्वारा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 04.02.2020 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। इसके पश्चात बिना कोई कार्यवाही किए एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.02.2020 पारित कर दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को उक्त अपील के

नोटिस विधिवत रूप से स्वयं का तामिल नहीं हुए है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को उक्त अपील विचाराधीन होने की जानकारी प्राप्त होते ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से यह क्रॉस ऑब्जेक्शन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2020 न्याय, नियम, विधिक सिद्धान्तों एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1720/08 एवं 1720 के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के मौके पर काबिज स्थान पर अपीलान्ट का हिस्सा मानकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की है। जबकि जिस स्थान पर अपीलान्ट का काबिज होना मानकर मौका पर्चा बनाया गया है, उस स्थान पर प्रारम्भ से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 काबिज है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अंतिम डिक्री पारित कर गम्भीर विधिक त्रुटि कारित की है। राजस्थान काश्तकारी नियत 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाते समय हल्का पटवारी के अलावा भू–अभिलेख निरीक्षक एवं सम्बन्धित तहसीलदार का मौके पर उपस्थित होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण के अन्तर्गत तथाकथित रूप से जो मौका पर्चा तैयार किया गया है, वह मौका पर्चा सिर्फ मात्र हल्का पटवारी द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक एवं सम्बन्धित तहसीलदार की अनुपस्थिति में मनमाने ढंग से तैयार किया गया है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथाकथित मौका पर्चा के आधार पर जो डिक्री पारित की गयी है, वह विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1720 व 1720/208 में बंटवारा नहीं किया गया है, केवल मात्र वादी का ही विभाजन किया गया है। जबकि विभाजन के वाद में सभी पक्षकार का विभाजन किया जाना विधि अनुसार आवश्यक है। इस आधार पर वादी का विभाजन कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री पारित की गयी है, वह विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व अन्य पक्षकारों को जवाब प्रस्तुत करने, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करने का यदि उचित अवसर प्रदान किया जाता, प्रकरण का विधि अनुसार गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना सम्भव था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अंदाज कर डिक्री पारित कर गम्भीर विधिक त्रुटि कारित की है। वादग्रस्त आराजी में से पक्षकारों की माता भँवरी का हिस्सा गलत रूप से अकेले लक्ष्मण के नाम हक त्याग के आधार पर अंकित किया गया है, जो पूर्णतयाः विधिविरुद्ध था। क्योंकि कालू के 7 वारिसान है जिनमें भँवरी पत्नी कालू, लक्ष्मण, मंगल, जीतमल, जगदीश पुत्रगण एवं दो पुत्रियों सरोज व सम्पति थी। भँवरी के स्वर्गवास के पश्चात् हिस्से भी गलत रूप से अंकित किये गये थे। इसलिए भी विभाजन गलत प्रकार से किया गया है। इस आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 निरस्त किय जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिस दिनांक 04.02.2020 को डिकी पारित की गयी थी, उस समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण पक्षकारों को न्यायालय में उपस्थित होने से छूट प्रदान की थी। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देशों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पारित कर गम्भीर विधिक त्रुटि की है। मौका पर्चा दिनांक 18.02.2020 में जो नक्शा बनाया गया है तथा दिनांक 04.06.2020 में जो नक्शा बनाया गया है, उनमें आपस में काफी अधिक विरोधाभास एवं भिन्नता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं अन्य पक्षकारों को विधिवत रूप से नोटिस तामिल नहीं करवाये गये थे। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सका तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जबकि विधि अनुसार प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को विधिवत रूप से तामिल करवाये बिना प्रकरण को एकपक्षीय रूप से निर्णित कर त्रुटि की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 56/2018

में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2020 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने जवाब/बहस क्रॉस ऑब्जेक्शन बाबत निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के उपरांत नोटिस जारी किये गये। जिसमें दिनांक 05.02.2019 को प्रतिवादी सं० 01 लगायत 04 जिसमें स्वंय जगदीश का भी नोटिस बाद तामिल न्यायालय के समक्ष पेश हुआ व अनुपस्थिति अंकित की उक्त उपरांत भी लगभग 5 पेशी तक उपस्थित नही होने से प्रतिवादी सं० 01 लगायत 04 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उसके पश्चात 4 पेशी उपरांत पुनः दिनांक 12.09.2019 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को आवाज लगाते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विधिवत् सुनवाई करते हुए दिनांक 04.02.2020 को प्रकरण में एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई व अंतिम डिक्री हेतु बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये गये जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.02.2020 को पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये गये। जिसमें स्वंय जगदीश पुत्र कालू क्रॉस ऑब्जेक्शनकर्ता स्वयं भी उपस्थिति था। उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण में दिनांक 30. 07.2020 को विधिवत अंतिम डिक्री पारित कर दी गई, जो कि पूर्णतया विधि सम्मत है। उक्त विरूद्ध क्रॉस ऑब्जेक्शन कतई समायत योग्य नहीं है। क्रॉस ऑब्जेक्शन की क्लेम सं० 03 पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। उक्त अपील में रेस्पो० सं० 03 जगदीश को विधिवत नोटिस प्राप्त हुये तथा परीक्षण न्यायालय में भी स्वय जगदीश की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव निर्मित किये गये जिससे भी पुनः प्रकरण व निर्णय बाबत् सदैव से जानकारी रही है। क्रॉस ऑब्जेक्शन की क्लम सं० 04 पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। क्रॉस ऑब्जेक्शन की क्लम सं० 05 पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिवत नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी नियम की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये गये जिसमें स्वंय जगदीश की उपस्थिति दर्ज है। कानून स्थिति अनुसार भी बंटवारे से पूर्व प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा होने की स्थिति में जगदीश का यह कथन कतई स्वीकार योग्य नहीं है कि उसका अमूक स्थान पर कब्जा रहा हो और वह कब्जा किसी अन्य को दे दिया गया। मौका पर्चा विधिवत नियमानुसार तैयार किया गया जिस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति जगदीश द्वारा नही की गई। इसी आधार पर क्रॉस ऑब्जेक्शन निरस्त किये जाने योग्य है। क्रॉस ऑब्जेक्शन की क्लम सं० 06 पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में केवल हक व हिस्सा तय किया जाता है ना कि नियम 18 से 21 पालना, इसी आधार पर क्रॉस ऑब्जेक्शन निरस्त किए जाने योग्य है। कानूनन स्थिति अनुसार जो पक्षकार स्वंय के आराजी विभाजन के लिए न्यायालय के समक्ष आता है, उसको अपनी आराजीयात का विभाजन कराने का अधिकार प्राप्त है। चूंकि प्रकरण में अन्य सहखातेदारान द्वारा भूमि रेस्पोडेन्ट मनोहर को विक्रय की जा चुकी है तथा पूर्ण सभी सहखातेदारान उक्त सभी सहखातेदारन से उक्त विभाजन से पूर्णतया संतुष्ट है। क्रॉस ऑब्जेक्शनकर्ता जगदीश द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट मनोहर को परेशान करने की गरज से उक्त क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत किया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिवत निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसमें बिना किसी आधार के हस्तक्षेप करने का कोई आधार शेष नहीं है। भंवरी के स्वर्गवास पश्चात उसके सभी वारिसान के हिस्से विधिवत दर्ज है तथा विभाजन भी विधि सम्मत तौर पर किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा न्यायिक दृष्टांत ए0आई0आर 1963 एस0सी0 1516, 2013 डीएनजे (1) राज0 86 एस0सी0, 1974 आरआरडी पेज 409, 2020 आरआरटी(2) 625 एच0सी0 प्रस्तुत किए हैं।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रॉस आब्जेक्शन एवं आदेश 41 नियम 22 का अवलोकन किया गया जिसमें प्रत्याक्षेप जानकारी से एक माह में प्रस्तुत करने की समय–सीमा निर्धारित है किन्तु प्रार्थी/क्रॉस आब्जेक्शन प्रस्तुतकर्ता को जानकारी बरवक्त कुर्रेजात दिनांक 18.02.2020 को हो गई थी क्योंकि उक्त रिपोर्ट पर स्वयं जगदीश के हस्ताक्षर है। प्रार्थी जगदीश को प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हो चुकी थी फिर भी प्रार्थी जगदीश द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही प्रार्थी की उपस्थिति में तैयार बंटवारा प्रस्ताव पर प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई। प्राथमिक डिक्री एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार की किया गया बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर ही अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। प्रार्थी को प्राथमिक डिक्री, कुर्रेजात रिपोर्ट/बंटवारा प्रस्तात व अंतिम डिक्री की जानकारी होने बावजूद उनके द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई।

उक्त अंतिम निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष जगदीश के जाईंदा भाई जीतमल द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी उक्त अपील के नोटिस दिनांक 11.12.2024 को जारी किये गये एवं आगामी पेशी दिनांक 08.01.2025 नियत की गई। दिनांक 08.01.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अभिभाषक उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 स्वयं उपस्थित हुए। तत्पश्चात् 21.01.2025 तारीख नियत की गई एवं पत्रावली इन्तजार नोटिस में नियत की गई उसके बाद पत्रावली में दिनांक 17.02.2025 तारीख पेशी नियत की गई एवं पत्रावली इन्तजार नोटिस में नियत रही एवं दिनांक 24.02.2025 को रेस्पोडेन्ट की नोटिस तामिल मानते हुए पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 10.03.2025 नियत की गई। दिनांक 10.03.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अन्य अभिभाषक ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं आगामी पेशी दिनांक 27.03.2025 नियत की गई एवं उसके बाद पत्रावली अंतिम बहस हेतु दिनांक 07.04.2025 को नियत की गई। दिनांक 07.04.2025 को अपीलांट द्वारा अपील विड्रो की गई एवं क्रॉस आब्जेक्शन में अग्रिम कार्यवाही की गई।

प्रार्थी के भाई जीतमल द्वारा प्रस्तुत अपील में न्यायायल हाजा द्वारा दिनांक 08.01.2025 को उपस्थित होने बाबत जारी किये गये नोटिस की पालना में प्रार्थी जगदीश ने दिनांक 02.04.2025 को क्रॉस आब्जेक्शन मय वकालतनामा प्रस्तुत किया जो कि आदेश 41 नियम 22 में दी गई समय सीमा (जानकारी से एक माह) से बाहर प्रस्तुत किया है एवं उक्त देरी का भी कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया एवं ना ही न्यायालय हाजा द्वारा उपस्थिति बाबत जारी किये गये नोटिस दिनांक 08.01.2025 पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत की गई इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को न्यायालय हाजा में चल रही उक्त अपील की जानकारी दिनांक 08.01.2025 को हो चुकी थी एवं उसी आधार पर प्रार्थी जगदीश ने क्रॉस आब्जेक्शन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संदर्भ में ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया है जिससे न्यायालय हाजा उक्त प्रार्थना पत्र को जानकारी से अंदर मियाद शुमार कर सकें और न ही मियाद को कण्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया।

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत पेश किया जिसे दिनांक 12.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 05.02.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए तत्पश्चात 5 तारीख पेशीया दी गई किन्तु दिनांक 19.06.2019 को अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि क्रॉस ऑब्जेक्श प्रस्तुतकर्ता जगदीश का नोटिस

उसके भाई जीतमल ने प्राप्त किया है। जीतमल, जगदीश का सगा भाई होकर परिवार का व्यस्क सदस्य है। अतः नोटिस विधिवत रूप से तामिल है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट जो कि तहसीलदार, आई0एल0आर0 एवं पटवार हल्का द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार की गई उसका अवलोकन करने पर पाया कि उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रार्थी जगदीश मौके पर उपस्थित है तथा उक्त रिपोर्ट प्रार्थी की उपस्थिति में बनाई गई एवं उक्त रिपोर्ट पर भी वर्तमान प्रार्थी जगदीश के हस्ताक्षर है इस प्रकार **यहां यह कहना उचित है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को नोटिस विधिवत रूप से तामिल हुए थे एवं उन्हे प्रकरण के बारे में पूर्णतया जानकारी थी किन्तु अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एव ना ही कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रार्थी जगदीश द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट (बटवारा प्रस्ताव) से संतुष्ट था।**

इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी 1974 पेज संख्या 409 एवं 2013 (1) डीएनजे राज0 पेज 86 एवं का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट है कि **Limitation of one month of file cross-objection starts from the date of service of notice for hearing of appeal.** आर0आर0टी0 2020 (2) पेज 625 का ससम्मान अवलोकन किया गया उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह प्रतिपादित किया है कि यदि क्रॉस आब्जेक्शन मियाद बाहर प्रस्तुत किया जाता है तो उसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के अभाव में क्रॉस आब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण के गुणावगुण पर अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आते है कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम नहीं किया गया है। प्राथमिक डिक्री की जगदीश को जानकारी होने के बावजूद भी जगदीश द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील न्यायालय हाजा में नहीं की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया जिसमें प्रार्थी जगदीश स्वयं उपस्थित था एवं प्रार्थी जगदीश के बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्राथमिक डिक्री एवं बंटवारा प्रस्ताव की जानकारी हो चुकी थी। बंटवारा प्रस्ताव पर प्रार्थी द्वारा कोई आक्षेप अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये गये ना ही अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई जवाब पेश करने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई। बंटवारा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार किया गया है एवं रास्ते बाबत कोई विवाद नहीं होना भी बंटवारा प्रस्ताव पर अंकित है। अतः प्रार्थी को आवागमन करने हेतु बाधित नहीं करें। अंतिम डिक्री पारित करते समय भी किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम ज्यादा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अंतिम डिक्री विधिवत रूप से पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध वर्तमान प्रार्थी द्वारा जानकारी होने के बावजूद न्यायालय हाजा के समक्ष कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी जगदीश द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन मियाद बाहर पेश किया गया है प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री की अपील में प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में निर्णय एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 सीपीसी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से तथा प्रार्थना पत्र जानकारी होने से मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने एवं प्रार्थना पत्र के साथ मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः क्रॉस ऑब्जेक्शन अंतर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 खारिज किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 56/2018 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2020 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर